राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांकः प.2(18)नविवि/5/2009 पार्ट–VIII   जयपुर, दिनांकः 20 SEP 2021

आदेश

बी.एस.यू.पी फण्ड के संबंध में जारी विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 20.06.2018 के द्वारा विभिन्न प्रकार के प्रकरणों के संबंध में बी.एस.यू.पी शैल्टर फण्ड की राशि लिये जाने हेतु दरों का निर्धारण किया गया। उक्त आदेश के बिन्दु संख्या A, B, C, D, E, एवं F के प्रकरणों में निर्धारित की गई दरों के अनुसार किसी भी एक प्रकरण के भूखण्ड में बी.एस.यू.पी शैल्टर फण्ड जमा होने के पश्चात पुनः उसी भूखण्ड पर किसी अन्य कार्यवाही हेतु उक्त शुल्क नही लिया जावें। साथ ही संस्थाओं का आवंटन आरक्षित दर से कम जिस दर पर किया जावें, उसी दर के अनुरूप निकायों द्वारा बी.एस.यू.पी. शुल्क लिया जावें।

उक्त आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(मनीष गोयल)
संयुक्त शासन सचिव–प्रथम

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास विभाग, राज. जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
4. निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, जयपुर।
5. सचिव, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
6. संयुक्त शासन सचिव–प्रथम/द्वितीय/तृतीय, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
7. सचिव, जयपुर/जोधपुर/अजमेर विकास प्राधिकरण, जयपुर/जोधपुर/अजमेर।
8. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
9. सचिव, नगर विकास न्यास, समस्त।
10. उप विधि परामर्शी/ उप नगर नियोजक, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
11. वरिष्ठ उप शासन सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग को विभागीय बेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।
12. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव–प्रथम